राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

कमांक:एफ-11।125।।6।आरएण्डपी/सकवि/305 जयपुर दिनांक: 3-1-2000

अधिसूचना

राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग,जयपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत छठे प्रतिवेदन में निम्न तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में पृथक से नाम जोडे जाने की सिफारिश न कर,केवल राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने का निवेदन किया है।

आयोग की छठी प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डल ज्ञापन संख्या एफ 11।125।।6।आरएण्डपी/सकवि/106 दिनांक:31/12/99 पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचारविमर्श कर उक्त वर्णित तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में आयोग के निवेदन को स्वीकार करते हुये,मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 1/2000 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है।

तदुनसार निम्नलिखित तीन जाति/वर्गो के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

1:रजपूत।राजपूत नहीं।/रजोत।राजपूत नहीं।

रजपूत।राजपूत नही। रावणा राजपूत,दारोगा के ही समानार्थी नाम है। जो लोग रजपूत या रजोत लिखते है वे भी दरोगा,रावणा राजपूत,हजूर या हजूरी ही है मगर रजपूत या रजोत लिखने से अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिलने की सम्भावना रहती है जिससे जो लोग दरोगा या रावणा राजपूत है तथा रजपूत या रजोत लिखते है,उन्हे सम्बंधित प्रमाण पत्र से वंचित रहना पड़ता है।अत:जो व्यक्ति दरोगा,रावणा,राजपूत,हजूर,हजूरी है व अपने नाम के आगे रजपूत।राजपूत नही।या रजोत।राजपूत नही।लिखते है,उन्हें भी प्रमाण पत्र मिलना चाहिये।जो रावणा राजपूत या दरोगा समुदाय के व्यक्ति अपने नाम के आगे रजपूत।राजपूत नही।या रजोत।राजपूत नही।लिखते है,उन्हें भी पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

2:पायक:-

जो वेदनाई पायक लिखते है मूल रूप से वेदनाई है तथा वे वेदनाई का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।पायक नाम से जाति की व्यवसायिक पहचान नही है,वेदनाई व्यवसायिक जाति नाम है।जो वेदनाई पायक लिखते है उन्हें भी वेदनाई का जाति प्रमाण पत्र दिया जावे।पायक,वेदनाई समुदाय एक ही है।किन्तु वेदनाई न

लिखकर कुछ पायक लिखते है।और वह अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।जब एक जाति अथवा समुदाय पिछड़ा वर्ग की श्रेणी मे आता है तो इस बात से कोई अन्तर नही पड़ता कि उस समाज के विभिन्न व्यक्ति अपने नाम के आगे क्या उपनाम लिखते है।प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वह पिछडी जाति के सदस्य होने का ही जारी किया जाता है।एक ही समुदाय के पचासों लोग उपनाम लिखते है और इसी कारण से उनकी जाति एवं समुदाय बदल नही जाती।अगर इस प्रकार विभिन्न उपनामों को जातियों की सूची में जोड़ा गया तो इससे भ्रान्तियाँ बढ़ेगी।यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपनाम पायक लिखते है किन्तु अपनी जाति वेदनाई कहते है,केवल पायक उपनाम लिखने से उसे प्रमाण पत्र से वंचित नही किया जायेगा।

3:रामगढ़िया:-

रामगढ़िया शब्द से इन लोगो का परिचय लिखा है जो रामगढ़ से निकले है।रामगढ़ से निकलने वाले अन्य सिखों का रामगढ़िया लिखने से रोका नही जा सकता,इस कारण,यदि रामगढिया शब्द पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया तो सम्बंधित अन्य पिछड़ी जातियों को नुकसान होने की सम्भावना है।अन्य पिछड़ी जातियों में खाती,बढई,सुथार,तरखान जोडी जा चुकी है।आयोग की राय में यदि कोई व्यक्ति जाति से तरखान है,किन्तु अपने नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है तो फिर उसे तरखान होने के प्रमाणपत्र से वंचित नही किया जा सकता।यदि कोई व्यक्ति,जो जाति से तरखान है,किन्तु नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है,तो उसे तरखान होने के प्रमाण पत्र से वंचित नही किया जाना चाहिये।

विशिष्ट शासन सचिव